

कुमार अरविन्द सिंह देव

प्रमुख सचिव

आईओएसओ



संयोजक पत्रसं०: एड्स सोसाइटी/GIPA/Coordination/

अर्द्धशा० पत्रसं०:

48280-98286

/पीओएसओएमआई०/2010

दूरभाष : (0522) 2616648 (कार्यालय)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

कक्ष सं० 308-309 तृतीय तल विकास

भवन, सचिवालय, लखनऊ

दिनांक: 22 मार्च, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविज्ञ हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की आपूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालन में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है। उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रदेश के समस्त एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों का मेडिकल कॉलेजों एवं जिला चिकित्सालयों के अर्न्तगत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की श्रृंखला में Baseline Test (प्रारम्भिक जाँच) कराया जाना अति महत्वपूर्ण है, जिसके उपरान्त ही एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार की श्रेणी तय की जाती है कि उसे किस प्रकार का उपचार प्रदत्त किया जाना है।

उपर्युक्त के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की आर्थिक दशा इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि उपरोक्त उपचार हेतु व्यय की जाने वाली समस्त राशि का वहन वह स्वयं कर सकें। अतः ऐसे में उनके उपचार में होने वाली असुविधा/बाधा उनके शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है एवं यदा-कदा समुचित उपचार प्राप्त न कर पाने की अवस्था में उनका देहान्त भी हो जाता है।

इसी क्रम में सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित शासनादेश संख्या-1094/71-1-200-जी-13/2000, दिनांक 12 जुलाई, 2000 (छाया प्रति संलग्न) के बिन्दु-2 में व्यवस्था है कि “विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम मातृ एवं शिशु कल्याण राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय/अन्धता निवारण कैंसर नियन्त्रण/एड्स नियन्त्रण/मलेरिया एवं फाइलेरिया नियन्त्रण तथा घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम, इनमें से जो भी मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा भेजे जाएंगे उनसे संक्रमित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा” किन्तु इसके बावजूद संज्ञान में आया है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों द्वारा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की प्रारम्भिक जाँच (Base Line Test) हेतु धनराशि ली जा रही है।

आपके संज्ञान हेतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ए.आर.टी. केन्द्र वाराणसी जनपद में आई.एम.एस. बी.एच.यू.; गोरखपुर जनपद में बी.आर.डी.मेडिकल कॉलेज एवं मेरठ जनपद में एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को Free Base Line

Test की सुविधा प्रदान की जा रही है किन्तु शेष जनपदों कानपुर (जी.एस.वी.एम.मेडिकल कॉलेज), लखनऊ (छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय), इलाहाबाद (एम.एल.एन.मेडिकल कॉलेज), आगरा (एस.एन.मेडिकल कॉलेज), झाँसी (एम.एल.बी.मेडिकल कॉलेज), अलीगढ़ (जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज) और इटावा (उ.प्र.ग्रामीण आर्युविज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई) के मेडिकल कॉलेजों में Free Base Line Test की सुविधा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की जाँच/उपचार हेतु उपलब्ध नहीं है।

आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त पूर्व प्रेषित शासनादेश का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को जाँच/उपचार हेतु निःशुल्क Free Base Line Test की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

22-3-10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

संलग्न सूची के अनुसार

प्रति,

श्री ० चन्द्रमौलि,
सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री मं,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश सरकार।

Steno D
Copy to: C.M.S. Secy
24/9

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या:

दिनांक- 12 जुलाई, 2000

241

विषय:- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों, उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं संस्थानों में रोगियों की देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा सेवा कृष्ण में संशोधन।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय पर मुझे यह पता चला कि प्रदेश में स्थित राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों और उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों व संस्थानों में प्रदेश की जनता की देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नराने और उनके वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं संस्थानों में रोगियों की चिकित्सा सुविधाओं/परीक्षणों/आपरेसन व अन्य विभिन्न गहरों के सिधे पूर्व में चिकित्सा स्वास्थ्य प्रवर्धन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये समस्त मासनादेशों को निरस्त करते हुए चिकित्सा सेवाओं/सुविधाओं की दृष्टि में संशोधन के निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं :-

11। विभिन्न राजकीय कॉलेजों तथा राजकीय परिवार स्थापन कार्यक्रम ग्राम एवं शिशु कल्याण राजकीय गुड/गम / अन्धता निवारण / श्रार नियंत्रण / एड्स नियंत्रण / मलेरिया / काहलेरिया नियंत्रण तथा हॉम नियंत्रण कार्यक्रम, इनमें से जो भी मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा देते जायेंगे उनमें संयोजित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा / सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

12। पूर्व की नीति निरस्त। अन्धर दृष्टिक तथा उपरजन्मों में दृष्टि जाने वाले रोगियों के परीक्षण शुल्क अथवा अन्य प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

131. आकस्मिक विभाग में भर्ती रोगियों में 24 घंटे के लिए किसी भी प्रकार का सेवा / सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके उपरान्त जो निःशुल्क विविधता सेवा प्रार्थना की भी में नहीं आते हैं उनसे निवृत्तता के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं/ सुविधाओं का शुल्क प्रदान किया जाएगा।

141. मेडिकल कानेजों अथवा सहाय विविधताओं में किसी भी रोगी के उपचार को इस आधार पर सेवा नहीं दिया जाएगा, वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है, ऐसे रोगियों के संबंध में गुणवत्तापूर्ण सेवा संबंधित विविधताओं के अस्पताल अधिक द्वारा स्वयंसेवक से निर्धारित किया जाएगा।

151. हमारे जेनरी तथा जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों में पूर्व की स्थिति कोई आधार शुल्क नहीं लिया जाएगा।

161. उत्तर प्रदेश के भारतीय विमानपत्तन, पूर्व-विमानपत्तन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके आश्रित को पूर्णतः निःशुल्क विविधता सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। भारतीय विमानपत्तन सेनानीयों को सेवाविशेष की स्थिति में जो विविधता सुविधाएं अनुमति दी गयी विविधता सुविधाएं सेवाविशेष के उपरान्त उपलब्ध कराई जाएंगी जो राजकीय सभी जगहों पर सेवाविशेष को देने हैं उनके संबंध में पुराने अनुमान के तहत उपलब्ध अनुमान की योजना की जाएगी। सरकार के विभाग के अधिकारियों/अधीनस्थों के निवृत्तता परीक्षा तथा विविधता प्रकार की विविधता सेवा/सुविधाओं के लिए निर्धारित शुल्क प्रदान किए जाएंगे, जिसकी प्रतिलिपि उनके द्वारा संबंधित विभाग के भेजा जा सकती है।

171. राजकीय अधिकारियों को जनरल/प्र-विशेष वार्ड की अनुमति 25 का प्रसार होगी कि 50 6000/- के 25 का अनुमान वाले राजकीय सभी जनरल वार्ड के 25 होगी 50 6000/- के अधिक अनुमान वाले सभी प्राइवेट वार्ड के लिए 25 का अनुमान।

- 101 राबकोप एलोपैठिक मेडिकल कॉलेजों, सम्पूर्ण विभिन्नताओं एवं संस्कारों में प्रथम कमीशन कुल २० ५/- किया जायेगा जो 15 दिन के लिए मान्य होगा। इसके प्रतिष्ठित अवसल पार्क में उपचार कराने वाले रोगियों में २० २५/- भाँति कुल निवार जायेगा और भाँति दिवस को सम्मिलित करते हुए प्रथम तीन दिनों के उपरान्त पीछे दिनों में ५ रुपये प्रति दिन केवल कुल १ रुप में प्रतिष्ठित किया जायेगा।
- 111 कमीशन कुल विभिन्न प्रकार के विभिन्नताओं वरीयता, सेवा / सुविधा के प्रयोग में प्रयोज्य होने वाली पुनरागमि का ५० प्रतिशत जो राबकोप रोग में तथा ५० प्रतिशत जो संवर्धित मेडिकल कॉलेजों एवं सम्पूर्ण विभिन्नताओं प्रयोग संस्कारों में रोग तथा जायेगा। रोगों में पुनरागमि का व्यय, रा-रुग्ण आदि अर्ध हेतु इसके लिए गरिष्ठ सम्मिलित के संख्या के अनुसार पूर्व निर्धारित भाँति में ही किया जायेगा। रोगों में पुनरागमि सुविधा को दृष्टि में सम्मिलित के वस्तु यह भाँति में जो किसी राबकोपकृत घर में होता जायेगा, में रक्ति रहेगी। सम्मिलित के वस्तु तथा पुनरागमि के उपयोग आदि की प्रतिष्ठा एवं भाँति के निर्धारित करने के समय में प्रयोग में भागनादेख निम्न किया जायेगा।
- 1101 प्राथमिक मेडिकल कॉलेज कुल ५० प्रतिशत जो राबकोप रोग में बना जायेगा।
- 1111 रोगों वारन का कुल ५० प्रतिशत रोगियों को दर में दिया होगा जो व्यय २० ५०/- किया जायेगा।
- 1121 कठिन रोगों विभाग में वरीयता एवं उपचार के लिए देन कुल अवसल पार्क में भाँति रोगियों के लिए निर्धारित भाँति में लागू होगा।
- 1131 विभिन्नता सेवाओं के अन्तर्गत प्रयोग तथा वर होने वाले रोग, जीववि, कुल दृष्टि, उपचारों की दर/रा-रुग्ण तथा १५ पर प्रतिष्ठित में होने वाली कुलवृद्धि की दृष्टिगत रक्त हुए प्रयोगित

८-

१०००-५०/-

निबन्धन, चिकित्सीय परीक्षण, शल्यक्रिया दरें/गुल्कों में प्रत्येक क्लेन्डर वर्ष के प्रारम्भ से दस प्रतिशत की वृद्धि अनुमत एक रुपये की जायेगी और इसी चिकित्सीय परीक्षण यथा स्वतरे/अन्द्रासाउन्ड आदि में प्रचलित बाजार दरों में औसत कमी आती है तो उक्त परीक्षण की दरों में यथा आवश्यक संशोधन आसनादेश के माध्यम से किया जायेगा।

§ 148 एलोपैथिक मेडिकल कालेजों अपने सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं संस्थानों में जनरल वार्ड/प्राइवेट वार्ड के रोगियों में विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं/सुविधाओं हेतु लिये जाने वाले गुल्क का विवरण संलग्नकानुसार निम्नवत् है :-

- संलग्नक-1 सामान्य गुल्क § पंजीकरण, भर्ती, शैथिल्य, आहार एवं रोगी वाहन।
- संलग्नक-2 परीक्षा की दरें § पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल।
- संलग्नक-3 आपरेशन § शल्य क्रिया, प्रोलोजर गुल्क।
- § 155 उपर्युक्त संशोधित/सुनरीक्षित दिशा निर्देश एवं दरें दिनांक 15-7-2000 से लागू/प्रभावो मानने जायेंगी।
- § 168 यह आदेश विरत विभाग के आराखीय संख्या-ई-3-954 /दस-2000 दिनांक 07-07-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- संशोधनानुसार।

भारतीय,

[Signature]

§ के ० सुन्दरीति
तयि।

संलग्नक:- § 14/11-1-2000-क/दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- § 18 महालेखाकार § ऑडिट प्रथम/लेखा उपाय प्रथम इलाहाबाद।
- § 20 प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, तलमऊ/कानपुर, गोरगुरु, इलाहाबाद, मेरठ, अगिरी, आगरा।

454

131

संस्था-परिचय पत्रिका ४ संस्था-परिचय पत्रिका ४ संस्था-परिचय पत्रिका ४

141

निर्देश-प्रमाणित, निम्नलिखित नामों के अधीन प्रमाणित करने के लिए।
जैतपुर जिला, जयपुर, महाराष्ट्र प्रदेश, भारत
नामिक जिला, जयपुर ।

151

संविधान ४०. समस्त अनुसूचित

161

107, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 193

21707

20

$$T_2 = 0$$

100